



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125673

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 18648/2026

प्रवीण कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: मेहुल खरे, सौरभ केसरवानी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री सौरभ केसरवानी और राज्य की ओर से ए.जी.ए. श्री जी.पी. सिंह के तर्कों को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. यह ज़मानत आवेदन मुकदमा अपराध सं. 128/2026, बी.एन.एस. की धारा 65(1), 351(3) और पॉस्को अधिनियम की धारा 3/4(2) के तहत, थाना छतरी, ज़िला बुलंदशहर में विचारण के लंबित रहने के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की मांग के साथ दायर की गई है।

3. शुरुआत में ही, ए.जी.ए. ने बताया कि शिकायतकर्ता को नोटिस भेज दिया गया है।

4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक को इस वाद में झूठा फँसाया गया है क्योंकि बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों में विरोधाभास हैं और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उसने मेडिकल जांच कराने से भी इनकार कर दिया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 08.04.2026 से जेल में बंद है; अगर उसे जमानत मिलती है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, ए.जी.ए. ने जमानत की मांग का पुरजोर विरोध किया लेकिन उपरोक्त तर्कों का खण्डन नहीं कर सके।

6. एफ.आई.आर. के अनुसार, आवेदक पर शिकायतकर्ता की लगभग 14 साल की बेटी के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप है, हालाँकि, बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों में विरोधाभास दिखाई देते हैं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 08.04.2026 से जेल में बंद है।

7. वाद के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्ता के तर्कों, अपराध की प्रकृति, सबूतों, आरोपी की संलिप्तता, जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में लंबित आपराधिक वादों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए; साथ ही **कपिल वधावन बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 6765)** मामले में इस न्यायालय की जमानत देने से संबंधित दिशा-निर्देश को ध्यान में रखते हुए, और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

8. इसलिए, यह आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

9. उक्त अपराध में शामिल आवेदक प्रवीण कुमार को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभू प्रत्येक पेश करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

(i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विवेचना/विचारण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iii) ज़मानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा भरे गए बंधपत्र की शर्तों के अनुसार पेश होगा।

10. ऊपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द करने का आधार माना जाएगा।

11. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए। संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और ज़मानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का भी सत्यापन किया जाना चाहिए।

12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए ज़मानत आदेश प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजे।

13. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह 24 घंटे के भीतर संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा इस आदेश की एक प्रति आवेदक को भेजे, ताकि 31.01.2023 को निर्णीत जमानत प्रदान करने की रणनीति, संदर्भ: स्वप्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 सन् 2021, जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्टेड है, के प्रकरण में शीर्ष न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जा सके।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

5 जून, 2026

मधुरिमा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”